



26

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 एम जे सी
मुख्यालय - 5233/2018/शाहडोल प्रख.

श्री. विनोद कुमार शर्मा
द्वारा आज दि. 24.8.18
प्रस्तुत। प्राथमिक तर्क हेतु
दिनांक 5-9-18 नियत।

क्रमांक ऑफ कोर्ट 24-8-18
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

श्रीमती निर्मला सिंह फोट पत्नी स्व. श्री
चन्द्रशेखर सिंह जरिए वारिसान पुत्र दिनेश
कुमार सिंह पुत्र स्व. चन्द्रशेखर सिंह,
निवासी - बलपुरवा तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल आवेदक

बनाम

श्रीमान कलेक्टर महोदय शहडोल जिला
शहडोल अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32, म.प्र.0 भू राजस्व सहिता वास्ते
रिवीजन क्रमांक 4646/18 अदम पैरवी निरस्ती दिनांक 20.8.2018
को पुनः नंबर पर लेकर सुनवाई किये जाने बावत।

माननीय न्यायालय
24/8/18
श्रीमती निर्मला सिंह शर्मा
शाय्य आयुवत
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नप्रकार है कि-

- यह कि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व सहिता के तहत दिनांक 19.7.2018 को प्रस्तुत की गई थी।
- यह कि, उक्त रिवीजन में दिनांक 9.8.2018 प्रथम सुनवाई हेतु नियत की गई किन्तु उक्त दिनांक को सुनवाई न होने के कारण रिवीजन को दिनांक 20.8.2018 को सुनवाई हेतु नियत किया गया।
- यह कि दिनांक 20.8.2018 को आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष एम सी आरसी क्रमांक 29093/18 एवं 32751/18 में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त रिवीजन में उपस्थित नहीं

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन-5233/2018शहडोल/भू.रा. निर्मला सिंह विरुद्ध कलेक्टर शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-09-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक अभिभाषक श्री विनोद कुमार शर्मा एवं अनावेदक शासन के अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी को प्रथमतः रेस्टोरेसन पर तर्क सुना गया । पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेसन आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 4646/2018/शहडोल/भू.रा. पुनः नंबर पर लिया जाता है ।</p>	<p><i>hmyr</i> सदर 10-9-2018</p>